प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 27.09.2019

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 66 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–16 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने विशेष अभियान के तहत जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 26.09.2019 को जनपद के थानों ने 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 200 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अमर पुत्र युगुल नि0 मंसापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 60 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0– 740/19, 02. अरूण पुत्र युगुल नि0 मंसापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–741/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र परशुराम नि0 बल्दूपुरवा राजापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–344/19, 02. सत्तन कोरी पुत्र पति नि0 बदिईया फरीद खॉ थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–341/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. माया राम पुत्र विष्णु सोनकर नि0 भरहु भठ्ठा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरमाद कर मु0अ0सं0–403/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अर्जुन पुत्र बाबू लाल नि0 वनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–372/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शिव पाल पुत्र जगदीश नि0 कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–278/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01.सरवन पुत्र महाराजदीन नि0 चन्दापुर किटौली थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–255/19, 02. रिंकू पुत्र स्व0 बसंतलाल नि0 धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–256/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त ईरान पुत्र शौकत अली नि0 पथार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–272/19, धारा 376 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

दिनांक 24.09.2019 को उक्त अभियुक्त ने थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ शौच के दौरान जबरन दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना तरबगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.09.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–21 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।